



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 2024-25

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित)



Dairy Innovation Awards 2024



आशा कंपनी को पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन सम्मेलन में नवाचार के लिए डेरी इनोवेशन अवार्ड-2024 से सम्मानित किया गया।



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



“मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश”

मैं आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को बधाई देता हूँ। आप सभी सदस्यों ने जिस तरह से कंपनी को अपना आशीर्वाद दिया है, उसके कारण आज हम नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा और हम सब मिलकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे।

मैं संगठन से जुड़े सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इसे सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादक कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

मैं टाटा ट्रस्ट और धानी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ने हमें वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। मैं NDDB डेयरी सर्विसेज का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमेशा हमें अपना मार्ग दर्शन प्रदान किया है। कंपनी उनके द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हमेशा आभारी रहेगी। मैं जापान इंटरनेशन कोऑपरेशन एजेंसी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सरकारी विकास सहायता के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से हमारी कंपनी को ऋण राशि प्रदान की।

मैं संस्था से जुड़े सभी सहायकों, दूध ले जाने वाले ड्राइवरों, कंपनी को तकनीकी सहयोग देने वाले कर्मचारियों और सभी हितधारकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।
आपका विश्वसनीय
धर्मेन्द्र कुमार



Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



प्रिय सदस्य बहनों,

मैं, नरसा, आशा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड की दसवीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी की स्थापना 21 मार्च 2016 को की गई थी ताकि हमारे घर का सारा विक्रय योग्य दूध गांव स्तर पर पारदर्शिता के साथ उचित मूल्य पर बेचा जा सके और साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पशुओं के लिए प्रजनन, भोजन, चारा, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने भीनमाल, राजसमंद और परतापुर जिलों में तीन नये एम.सी.सी प्ररम्भ किये हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग रुपये 230 करोड़ का कारोबार किया है। कर के भुगतान के पश्चात कंपनी ने 45.05 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने दूध प्रतिपूर्ति की आपकी प्रतिबद्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 69.05 लाख का लॉयल्टी इंसेंटिव दिया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों पर सीमित लाभांश की भी संस्तुति की है। पूरे वर्ष में सदस्यों से कुल लगभग 373 लाख लीटर दूध का संकलन किया है। वर्तमान में कंपनी ने दूध के संकलन में वृद्धि की है और हमें उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम जल्द ही 2 लाख लीटर दूध का सपना पूरा कर सकेंगे।

अब सदस्यों के बीच पशु आहार और मिनरल मिक्सचर की मांग बढ़ रही है। सदस्यों की मांग पर मार्च 2025 तक कंपनी द्वारा कुल लगभग 2651 मीट्रिक टन पशु आहार, लगभग 38 मीट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और लगभग 63 हजार लिटर कैल्शियम की बिक्री भी की जा चुकी है। दूध उत्पादकों के बीच पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम की बढ़ती मांग का मुख्य कारण आशा द्वारा चलाए जा रहे आहार संतुलन कार्यक्रम की लोकप्रियता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी द्वारा किये गए नवाचार के लिए इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन द्वारा कंपनी का चयन किया गया जिसके लिए मुझे अवार्ड लेने के लिए अक्टूबर 2024 में पेरिस जाने का अवसर प्राप्त हुआ जब मैं पेरिस से अवार्ड लेकर वापस लौटी तो NDDB आनंद और भारत सरकार पशुपालन मंत्रायल दिल्ली द्वारा बुलाकर सम्मानित किया गया दोनों स्थानों पर मैंने पेरिस में प्राप्त अनुभवों को साझा किया।

निदेशक मंडल और कंपनी के सभी सदस्यों की ओर से मैं धानी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। मैं NDDB डेयरी सर्विसेज का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया। कंपनी उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हमेशा आभारी रहेगी। मैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सरकारी विकास सहायता के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से हमारी कंपनी को ऋण राशि प्रदान की। इसके साथ में CMF कंपनी की इनपुट सेवाओं में बहुत मददगार रहा है, जिसके लिए कंपनी उनका आभार व्यक्त करती है।

मैं अपने सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग, समर्पण और कड़ी मेहनत के बिना कंपनी का ऐसा समग्र विकास संभव नहीं हो पाता।

हमारी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप, हमें विश्वास है कि हमारी कंपनी राजस्थान राज्य की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक होगी और इस क्षेत्र की महिला दूध उत्पादकों को दूध और अन्य सेवाओं से बेहतर लाभ प्रदान करके उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

शुभ कामनाओं सहित
आपकी विश्वसनीय
नरसा कुंवर

निदेशक मण्डल

श्रीमती नरसा कुंवर	—	अध्यक्ष
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा	—	निदेशक
श्रीमती माफी देवी	—	निदेशक
श्रीमती कन्या	—	निदेशक
सुश्री भावना कुमारी	—	निदेशक
सुश्री रंजना कुंवर राठौड़	—	निदेशक
श्रीमती संतोष चौधरी	—	निदेशक
श्री नरिंदर सिंह बहगा	—	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बलजिंदर सिंह	—	विशेषज्ञ निदेशक
श्री धर्मेन्द्र कुमार	—	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

श्री जैसराज
कंपनी सचिव

श्री हर्षित जैन
प्रबंधक—वित्त एवं लेखा

वैधानिक अंकेक्षक
के एम जी एस एण्ड एसोसिएट्स
नई दिल्ली

आंतरिक अंकेक्षक
केपीएमजी एशयोरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसज एलएलपी
गुरुग्राम

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट	बैंकर्स	अनुक्रमणिका	
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शांतिग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली-110 062	ऐक्सिस बैंक, उदयपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उदयपुर एच.डी.एफ.सी. बैंक, उदयपुर	विवरण	प्रष्ठ सं.
		1. निदेशकों का प्रतिवेदन	1
		2. वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	14
		3. वित्तीय विवरण एवं नोट्स	27

पंजीकृत कार्यालय :

प्लॉट नंबर-03, पानेरियो की माद्री, सेक्टर -9, सी-ब्लॉक, हिरण मगरी,
सवीना, उदयपुर, राजस्थान - 313002

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

दूरभाष संख्या : +91 0294 2481466

ईमेल — info@ashamilk.com

वेबसाईट : www.ashamilk.com

(नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की
अस्पष्टता/असामंजस्यता/त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्याय XXI A) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 21 मार्च, 2016 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रु में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रु में)
कुल आय	23006.80	22982.40
कुल लागत (व्यय सहित)	22929.92	22884.25
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	76.87	98.14
कर हेतु प्रावधान	31.83	11.43
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	45.05	86.71

पिछले वर्ष कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रु. 22982.40 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रु. 23006.80 लाख रही। पिछले वर्ष के कुल लागत (व्यय सहित) रु. 22884.25 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल लागत (व्यय सहित) रु. 22929.92 लाख रहे हैं।

पिछले वर्ष के कर के पश्चात् रु. 86.71 लाख की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कर के पश्चात् लाभ रु. 45.05 लाख रहा है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रु. 6/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 40.80/- लाख सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 10वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने रु. 4.23/- लाख की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

परिचालन की समीक्षा:-

दूध संकलन:

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने 373.10 लाख लीटर दूध की खरीद की, जबकि पिछले वर्ष 330.37 लाख लीटर कच्चा दूध खरीदा गया था। जेआईसीए परियोजना के तहत, कंपनी के दूध खरीद कार्यों का विस्तार भीनमाल, राजसमंद और परतापुर स्थित तीन नए एमसीसी तक किया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के पास 46,467 सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों की पारस्परिक सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च शिखर पर पहुंच जाएगी। सदस्यों को कंपनी में नियमित रूप से दूध डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने लगभग ₹ 69.5 लाख का प्रोत्साहन राशि का भुगतान इसके सदस्यों को किया है।

जहाँ तक खरीद कीमतों का संबंध है, कंपनी का अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी कीमतों का भुगतान करना जारी है।

कम्पनी दक्षता बढ़ाने और लागत में कमी के उपायों जैसे रसद लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि करके अपने सदस्यों से दूध की खरीद को अधिकतम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है

पुरस्कार और मान्यता

हमारी कंपनी को पेरिस में आयोजित आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन 2024 के दौरान सौर ऊर्जा आधारित इंस्टेंट मिल्क चिलर के लिए प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड-2024 से सम्मानित किया गया।

मरुधरा घी (MARUDHARA GHEE):

कंपनी ने अपना पहला दूध उत्पाद 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 'मरुधरा घी' ब्रांड के तहत लॉन्च किया। 6वीं वार्षिक आम सभा में, कंपनी ने अलग-अलग वजन के पैकेट में इसके विभिन्न वेरिएंट लॉन्च किए। कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक 27.74 मीट्रिक टन घी की बिक्री की है।

मरुधरा पनीर (MARUDHARA PANEER):

कंपनी ने 02 सितंबर, 2022 को कंपनी की 7वीं वार्षिक आम सभा में मरुधरा पनीर लॉन्च किया। कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक 231 किलोग्राम पनीर की बिक्री की है।

मरुधरा बीकानेरी रसगुल्ला:

कंपनी ने 15 अगस्त, 2023 को मरुधरा बीकानेरी रसगुल्ला लॉन्च किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान 5971 किलोग्राम बीकानेरी रसगुल्ला बेचा।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ (PRODUCTIVITY ENHANCEMENT SERVICES): -**राशन संतुलन कार्यक्रम (RATION BALANCING PROGRAMME) (RBP):**

कंपनी के परिचालन क्षेत्र में उत्पादक पुरानी आहार / चारा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। कंपनी ने पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत दूध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार बनायें जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि, पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन लागत में कमी आती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन संतुलन कार्यक्रम के तहत 3,616 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएँ (ARTIFICIAL INSEMINATION (AI) SERVICES):

कंपनी प्रशिक्षित योग्य एआई तकनीशियनों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार, उत्पादकता में सुधार, दूध उत्पादन की लागत को कम करने और अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए किसानों के द्वार पर शीर्ष आनुवंशिकी का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान कर रही है।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवाओं चयन के पश्चात उन्हें एनडीडीबी के प्रशिक्षण केंद्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का परिशिक्षण किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की तिथि से 21 दिनों के बाद मवेशियों की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जाँच की जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए 12,803 AI की है।

बांझपन उपचार शिविर (INFERTILITY TREATMENT CAMPS)

चूंकि बांझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में बांझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल 537 बांझपन उपचार शिविरों में 1,661 पशुओं का इलाज किया।

सीएमटी (कैलिफ़ोर्निया मास्टिटिस परीक्षण) (CMT (CALIFORNIA MASTITIS TEST))

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण, दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग की सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों के दुधारू पशुओं के लिए कुल 4,033 सीएमटी (कैलिफ़ोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित किए गए।

पशु आहार

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 2,116 मीट्रिक टन की तुलना में 2651 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की है।

खनिज मिश्रण (MINERAL MIXTURE)

कम्पनी ने अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है जो संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए और स्वस्थ दूध उत्पादन और दूधारू पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादकों को प्रदान करा रही हैं कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 38.14 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण की बिक्री की है।

कैल्शियम (CALCIUM)

उत्पादकता बढ़ने वाली सेवाओं का विस्तार करके अपने किसानों के लिए पशुपालन को अधिक लाभदायक बनाने की निरंतरता में, कंपनी ने अपनी चौथी वार्षिक आम बैठक में "आशा चेलेटेड डबल स्ट्रेंथ कैल्शियम" लॉन्च किया। कैल्शियम हड्डी के मुख्य घटकों में से एक है और युवा मवेशियों में उचित विकास प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। कैल्शियम का सेवन अपर्याप्त होने पर विकास दर धीमी होती है। कैल्शियम की कमी है वहां रिकेट्स, कमजोर कंकाल या यहां तक कि हड्डी टूटने की सम्भावना रहती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने सदस्यों को 63650 लीटर कैल्शियम प्रदान किया है।

गुणवत्ता हेतु पहल (QUALITY INITIATIVE):

उपयोग किये जा रहे दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जाँच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित है। एफएसएसएआई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर नई मिलावट परीक्षण और एंटीबायोटिक परीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई है। कंपनी के परिचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कंपनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ उन सभी संबंधित लोगों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और लगातार कर रही है जो दूध की गुणवत्ता से सीधे जुड़े हुए हैं। फार्म स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम स्तर पर 83 स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 3625 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादक संस्था निर्माण (PRODUCER INSTITUTION BUILDING) (PIB):

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। कंपनी के व्यवसाय में सदस्यता और सदस्यों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किये गए हैं जिससे की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर हो सके। पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्यों के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी के मूल डिज़ाइन सिद्धांत (MPC'S CORE DESIGN PRINCIPLES):

कोर डिज़ाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यवसायिक गतिविधियों को केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय और प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्य ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कांटेक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए एक उचित तंत्र शुरू किया जा रहा है जो सदस्यों और कंपनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्य की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यावसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और उच्च श्रेणी के आर्थिक स्तर को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को शीघ्रतिशिघ्र व्यवहर्ता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम (TRAINING & CAPACITY BUILDING PROGRAMS):

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझ सकें। कंपनी द्वारा सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार थे:

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	निर्माता जागरूकता कार्यक्रम	5	292
2.	गुणवत्ता एवं स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम	83	3625
3.	सहायक के लिए फ्रेशर कार्यक्रम	14	689
4.	उत्पादकों के लिए डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	271	5420

गोडवाड़ फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (फोडर प्लस एफपीओ) को CBBO के रूप सहायता भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय(MoA & FW) ने पूरे भारत में **10,000** किसान उत्पादन संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रारम्भ की थी, जिसका क्रियान्वयन विभिन्न हितधारकों जैसे कार्यान्वयन एजेंसियों, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBOs) का राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA) और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है।

भारत में एफपीओ के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने उक्त योजना के अंतर्गत चारा प्लस एफपीओ के गठन के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (CBBO) के रूप में आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को नियुक्त किया और तदनुसार गोडवाड़ फोडर एंड एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड को दिनांक 19 अप्रैल, 2023 को राजस्थान राज्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI A के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में सम्मिलित किया गया।

गोडवाड़ एफपीसी का मुख्य उद्देश्य चारा विकास गतिविधियां हैं जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, तैयार खाने योग्य टीएमआर का उत्पादन, उनकी बिक्री, इनपुट (कच्चा चारा सामग्री, मिनरल मिक्सचर, चारा अनुपूरक, चारा बीज आदि) का खरीद और आपूर्ति एवं साथ छोटे/सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच उपलब्ध हो सके।

समीक्षा अवधि के दौरान, गोडवाड़ एफपीसी ने लगभग रु. 28 लाख का कुल व्यापार किया है और 411 उत्पादक सदस्यों को कम्पनी में जोड़ा गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in nature of Business)

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (Material Changes and Commitments after closure of Financial Year)

कम्पनी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जोकि वित्तीय वर्ष के समापन पर, जिससे कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

अंश पूंजी और सदस्यता (SHARE CAPITAL AND MEMBERSHIP): -

कम्पनी की 31 मार्च, 2025 को ₹ 100/- प्रति समता अंश मूल्य के 680119 अंशों की कुल प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 68011900 थी, जिसमें 46,467 सदस्य थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियां को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

मतदान का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति (VOTING RIGHTS AND ATTENDANCE AT AGM): -

वे दूध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। हर उस सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लूम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (**Transfer to Investor Education and Protection Fund**)

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर www.ashamilk.com उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख सकते हैं और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, आठ बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
48 th	22.05.2024	10	9
49 th	22.05.2024	10	9
50 th	18.07.2024	10	6
51 st	27.08.2024	10	8
52 nd	25.10.2024	10	6
53 rd	25.12.2024	10	9
54 th	13.02.2025	10	9
55 th	25.03.2025	10	10

ऑडिट कमेटी

अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए बोर्ड द्वारा ऑडिट कमेटी का गठन किया गया था। ऑडिट कमेटी में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:

1. श्रीमती. नरसा कंवर, अध्यक्ष
2. श्री बलजिंदर सिंह, सदस्य
3. श्रीमती. रचना देवधर गोयल, सदस्य

कमेटी की दो बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऑडिट कमेटी की संख्या	समिति की बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1 st	25 th December 2024	3	3
2 nd	25 th March 2025	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति (Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री धर्मेन्द्र कुमार ने 22 मई, 2024 को कंपनी के मुख्य कार्यकारी और निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया और कंपनी एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के बीच सेकंडमेंट व्यवस्था के तहत 22 मई, 2024 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी और निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है।

श्रीमती काली देवी, 20 सितंबर 2024 से कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुईं।

श्रीमती संतोष चौधरी को नियुक्त और श्रीमती माफी देवी को 20 सितंबर 2024 से उत्पादक निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

श्री बलजिंदर सिंह को 02 जुलाई 2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

श्रीमती रचना देवधर गोयल ने 15 जुलाई 2025 से विशेषज्ञ निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री नरिंदर सिंह बहगा को 16 जुलाई 2025 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुनः नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सदस्यों द्वारा संरक्षता के मापदण्ड पूरे करने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी का संरक्षता योगदान क्रमशः 23%, 34% और 42% थे। तदनुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमशः श्रेणी-ए में 3 निदेशक, श्रेणी-बी में 4 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 4 निदेशक होती हैं।

कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

संरक्षण मानदंडों के आधार पर बोर्ड में श्रेणी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और श्रेणी-ए में रिक्तियों को भरने के लिए, बोर्ड, नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, " श्रेणी-ए का प्रतिनिधित्व" करने वाली सुश्री ललिता जाट, श्रीमती सज्जन कुंवर और श्रीमती गुलाबी की नियुक्ति की अनुशंसा है। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले उपरोक्त निदेशक के नाम और योग्यताओं वाला विवरण कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न है।

श्रेणी- बी के निदेशक

संरक्षण मानदंडों के आधार पर बोर्ड में श्रेणी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और श्रेणी-बी में रिक्तियों को भरने के लिए, बोर्ड, नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, " श्रेणी-बी का प्रतिनिधित्व" करने वाली श्रीमती शांता पटेल की नियुक्ति की अनुशंसा है।

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले उपरोक्त निदेशक के नाम और योग्यताओं वाला विवरण कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न है।

श्रेणी-सी के निदेशक

कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, कंपनी की निदेशक श्रीमती नरसा कुंवर और श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चौबीसा, जो " श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करती हैं" कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होंगी और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले उपरोक्त निदेशक के नाम और योग्यताओं वाला विवरण कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न है।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:-

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।
- कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

- d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।
 e) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कंपनी में सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिए सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण नियमित तौर पर एक बाहरी कंपनी मैसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी के द्वारा किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण कंपनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कंपनी का अंकेक्षण करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेसर्स ई एंड वाई के स्थान पर मेसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

मानव संसाधन (HUMAN RESOURCE): -

कर्मचारी कंपनी की सम्पत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके जूनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है कंपनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है

कंपनी के विज्ञान, मिशन और वैल्यू (VMV) का पालन कंपनी के दीर्घकालीन विकास को बनाये रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः पालन किया जा रहा है

सूचना प्रौद्योगिकी (INFORMATION TECHNOLOGY): -

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती है और कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती है। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन की दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर उचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। हमारी कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

सावधि जमा (Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कोई जमाय स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees given and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण (Particulars of Contracts, Arrangements with related parties)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस (arm's length basis) और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3) (h) के साथ पढ़े जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC-2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

मैसर्स मेसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम मूल्यांकन देते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड के समक्ष बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है और चर्चा की जाती है। हमारी कंपनी के पास किसी भी जोखिम को चिन्हित करने और उसे समाप्त करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है जो अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकती है।

लेखा परीक्षकों (Auditors)

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों मेसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी की 11वीं एजीएम को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए 6वीं एजीएम में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख (Cost Record)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं होती है।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सचिवीय मानक (Secretarial Standards of ICSI)

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान(ICSI) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालना के लिए कम्पनी में एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सचिवीय अंकेक्षण (Secretarial Audit)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, कम्पनी पर सचिवीय अंकेक्षण लागू नहीं है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा (Boards' comment on the Auditors' Report)

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व-व्याख्यात्मक है और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, शर्त, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

वार्षिक रिटर्न (Annual Return)

दिनांक 31 मार्च, 2025 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट www.ashamailk.com पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिंग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, प्राप्त और निपटाये गये शिकायतों का सारांश निम्नलिखित है:

वर्ष में प्राप्त लैंगिंग उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	Nil
वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या	Nil
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या, पूर्व में दिये गये विवरण में कम्पनी ने वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायतों समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है	Nil

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 से संबंधित लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

समीक्षा वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। इसलिए, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पढे कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के संशोधित नियम 5 (2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

- i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

- a) कोई भी कम्पनी ना तो आशा कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या समाप्त हुई है।
- b) विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।
- c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- d) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (10) के प्रावधान सचेतक तंत्र कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- e) कम्पनी के विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
- f) एकमुशत निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।
- g) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार ACKNOWLEDGEMENT: -

निदेशक मंडल वर्ष के दौरान कंपनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकों द्वारा दिए गए योगदान और नियमित सहयोग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और सराहना व्यक्त करता है।

आपके निदेशक इस अवसर पर प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए DHANII फाउंडेशन और NDDDB डेयरी सर्विसेज को अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों और कंपनी संबंधित सभी लोगों के उत्साहपूर्ण सहयोग, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करता है, जिसके प्रयासों के बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उसकी ओर से

तारीख: 22/08/2025

स्थान: उदयपुर

नरसा कुंवर

अध्यक्ष एवं निदेशक

DIN: 09691291

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट और लाभ - हानि का विवरण, उस वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के वित्तीय विवरण, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और हानि का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, के मामलों की स्थिति के अनुरूप है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशक की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत हैं या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।
- जब हम निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 'अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5), भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन और नकदी प्रवाह में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

● प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में प्रबंधन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - b. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - c. बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
 - d. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - e. 31 मार्च, 2025 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया, किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2025 को निदेशक के रूप में अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

- f. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- g. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी है तो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।
- h. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
 - ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - iv. a. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषित किया है कि, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाना जाता है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।
 - b. प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषित किया है कि, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य

व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी ।

c. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (a) और (b) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

V. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 31 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

Vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश/सीएआरओ 2020") द्वारा आवश्यक है, हम "अनुलग्नक बी" में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले एक बयान देते हैं ।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक सी" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर

साइनेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN:25082424BMIGQM9492

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.08.2025

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(हमारी की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (f) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2025, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर

साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN:25082424BMIGQM9492

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.08.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी।

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

- (i) इसके संयंत्र, संपत्ति और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:
 - a. (A) कंपनी ने संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - (B) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - b. सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
 - c. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
 - d. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - e. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2025 तक लंबित नहीं है।
- (ii) a. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर माल सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष के अंत के बाद प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ग के मालसूची के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जब खाते की किताबों की तुलना में, लागू होने वाली सूची / वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर ध्यान दिया गया।

- b. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए खंड 3 (ii) (बी) आदेश का लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं प्रदान किया है और इसलिए क्लॉज (iii) के आदेश के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश और गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, CARO 2020 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- a. कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए किसी भी दायित्व को जन्म नहीं दिया।
- b. 31 मार्च, 2025 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि जिस तारीख से वे देय हो छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।
- c. उप-खंड (a) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे 31 मार्च, 2025 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।
- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।
- (ix) a. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- b. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

- c. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए सावधि ऋण का उपयोग कंपनी द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- d. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
- e. वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) और (फ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) a. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- b. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) a. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- b. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
- c. जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, वित्तीय विवरणों आदि में लागू लेखा मानकों के अनुसार जहां लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।
- (xiv) a. *हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।*

- b. हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 तक की अवधि को कवर करते हुए, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को जब वे देय हो जाते हैं कंपनी द्वारा देय कर दी जाएगी।
- (xx) कंपनी का शुद्ध मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार नहीं था या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 (पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर

साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN:25082424BMIGQM9492

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.08.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 18 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2025 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

केएमजीएस और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर
साझेदार

(सदस्यता संख्या 082424)

UDIN:25082424BMIGQM9492

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.08.2025

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2025 को आर्थिक चिद्व

	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को स्थिति (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 को स्थिति (राशि लाख रुपयों में)
A. समता एवं दायित्व			
1. अंशधारकों का कोष			
(a) अंश पूंजी	3	680.12	593.84
(b) संचित एवं अधिशेष	4	745.62	748.08
		1,425.74	1,341.92
2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि			
		8.97	4.50
3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)			
	5	639.82	444.54
4. गैर-चालू दायित्व			
(a) दीर्घकालिक दायित्व	6	320.75	279.00
(b) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	14	4.86	-
(c) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	7	357.95	196.90
(d) दीर्घकालिक प्रावधान	8	12.41	10.05
		695.97	485.95
5. चालू दायित्व			
(a) अल्पकालीन ऋण	9	-	2,763.88
(b) व्यापारिक देनदारियां	10		
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		135.82	70.42
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		941.35	532.39
(c) अन्य चालू दायित्व	11	156.28	514.09
(d) अल्पकालीन प्रावधान	12	-	-
		1,233.45	3,880.79
योग		4,003.95	6,157.70
B. संपत्तियाँ			
1. गैर चालू संपत्तियाँ			
(a) संपत्ति, प्लॉट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ			
(i) संपत्ति, प्लॉट और उपकरण	13a	1,187.96	562.84
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ	13b	9.46	14.77
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13c	14.36	224.41
		1,211.78	802.02
(b) स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	14	-	11.37
(c) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	15	63.87	59.35
(d) अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	16	5.20	5.20
		1,280.84	877.94
2. चालू संपत्तियाँ			
(a) स्टॉक	17	248.21	163.06
(b) व्यापारिक लेनदारियाँ	18	838.71	3,233.93
(c) रोकड़ एवं बैंक शेष	19	1,567.35	1,838.25
(d) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	20	19.16	21.61
(e) अन्य चालू संपत्तियाँ	21	49.69	22.91
		2,723.11	5,279.77
योग		4,003.95	6,157.70

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN: 09691291

कन्या
निदेशक
DIN: 08480274

धर्मेंद्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08122632

प्रमोद कुमार कपूर
पार्टनर
एम.नं. 82424

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

हरिंत जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.08.2025

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 22.08.2025

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि का विवरण

	नोट संख्या	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
1. व्यवसाय से आय	22	22,893.75	22,905.46
2. अन्य आय	23	113.04	76.93
3. कुल आय (1+2)		23,006.80	22,982.40
4. व्यय			
(a) उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	50.15	-
(a) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	25	21,168.73	21,192.67
(b) तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन	26	(84.68)	110.03
(c) कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	27	429.41	351.57
(d) वित्त लागत	28	26.05	196.03
(e) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	13	64.04	29.55
(f) अन्य व्यय	29	1,276.22	1,004.41
कुल व्यय		22,929.92	22,884.25
5. कर पूर्व लाभ (3-4)		76.87	98.14
6. कर व्यय			
(a) चालू कर		15.60	20.01
(b) स्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		16.23	(8.27)
(c) पूर्व के वर्षों से संबंधित प्रावधान शुद्ध कर व्यय		-	(0.31)
		31.83	11.43
7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		45.05	86.71
8. प्रति समता अंश आय :	35		
(अंकित मूल्य प्रति शेयर: ₹.100/-)			
(a) मूल		7.41	15.58
(b) डायल्यूटेड		7.40	15.58

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN: 09691291

कन्या
निदेशक
DIN: 08480274

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08122632

प्रमोद कुमार कपूर
पार्टनर
एम.नं. 82424

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

हरिषत जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.08.2025

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 22.08.2025

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
A. व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
कर से पूर्व लाभ	76.87	98.14
समायोजन के लिये :		
वित्त लागत - उधार पर ब्याज व्यय	25.95	195.91
ब्याज से आय	(77.53)	(59.04)
मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	64.04	29.55
संपत्ति, प्लांट और उपकरण की वसूली या बिक्री पर लाभ	-	(11.10)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	89.34	253.46
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
स्टॉक में (वृद्धि)/कमी	(85.15)	109.06
व्यापारिक लेनदारियों में (वृद्धि)/कमी	2,395.23	2,168.33
अन्य गैर चालू संपत्तियों (वृद्धि)/कमी	-	(3.80)
दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रियों में (वृद्धि)/कमी	2.45	(0.16)
अन्य चालू संपत्तियों (वृद्धि)/कमी	0.03	0.05
अन्य दीर्घकालीन दायित्व में (वृद्धि)/कमी	161.05	35.35
व्यापारिक देनदारियों में (वृद्धि)/कमी	474.35	(358.92)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	2.36	(3.52)
अन्य चालू दायित्वों में (वृद्धि)/कमी	(245.21)	364.60
यवसाय से उत्पन्न / रोकड़	2,794.46	2,564.47
शुद्ध आय कर (भुगतान)/रिफंड	(20.11)	(54.74)
व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह (A)	2,774.34	2,509.72
B. निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:		
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) को रोकड़ और रोकड़ तुल्य नहीं माना गया	282.94	(844.29)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (पूंजी का शुद्ध अनुदान प्राप्त)	(367.30)	(135.85)
प्राप्त ब्याज	50.72	66.97
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली/बिक्री से प्राप्त आय	-	11.10
निवेशकीय गतिविधियों में (उपयोग) / से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह (B)	(33.65)	(902.07)
C. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
शेयर पूंजी के निर्गमन से प्राप्ति	81.78	37.43
अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां	8.97	4.50
कार्यशील पूंजी उधार में कमी/(वृद्धि)	(2,763.88)	(1,575.42)
लाभांश का भुगतान	(47.51)	(43.80)
दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्तियां	41.75	279.00
वित्त लागत भुगतान	(49.77)	(202.31)
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग / से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ (C)	(2,728.66)	(1,500.59)
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध (कमी) / वृद्धि (A+B+C)	12.03	107.06
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	170.81	63.75
वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	182.84	170.81
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित है :		
बैंक शेष:		
चालू खाते	69.31	132.97
बचत खाते	113.53	36.98
जमा खाते	-	0.86
रोकड़ प्रवाह विवरण के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य जोड़ें: बैंक शेष जिसे रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है	182.84	170.81
जोड़ें: निर्धारित खातों में - अदत लाभांश खाता	1,288.25	1,029.83
जोड़ें: निर्धारित खातों में - JICA खाता	1.05	0.85
रोकड़ एवं शेष बैलेंस शीट के अनुसार (नोट 19)	95.20	636.77
	1,567.35	1,838.25

संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी रिपोर्ट के सन्दर्भ में

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

वास्ते केएमजीएस एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म का पंजीकरण नं. 4730N)

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN: 09691291

कन्या
निदेशक
DIN: 08480274

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08122632

प्रमोद कुमार कपूर
पार्टनर
एम.नं. 82424

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

हरिषत जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.08.2025

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 22.08.2025

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

आशा महिला मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को 21 मार्च, 2016 को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (CIN U01122RJ2016PTC049656) के रूप में निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूलिंग, खरीददारी का व्यवसाय करना था। सदस्यों के लाभ के लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/चारा, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से सदस्यों के दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण और उन गतिविधियों में निपटने के लिए जो इसका हिस्सा हैं या उससे संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए आकस्मिक है।

कंपनी राजस्थान के उदयपुर, और अन्य नजदिकी जिलों के गांवों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और डेयरियों को बेचती है। कंपनी घी भी बनाती है और मवेशी चारा और खनिज मिश्रण का कारोबार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:

a. लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधान जो लागू हों के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। एमसीए ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत निर्माता कंपनियों पर लागू अनुभागों को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020' के तहत अधिसूचित किया है और साथ ही निर्माता कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों को "निर्माता कंपनी नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत वित्तीय विवरण प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

b. अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान आस्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) और रिपोर्ट की गई आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक होते हैं।

c. नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

कैश ऑन हैंड और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण:

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

e. आय की पहचान:

उस बिक्री को मान्यता दी जाती है जो रिटर्न का शुद्ध और व्यापार की छूट, महत्वपूर्ण जोखिम का हस्तान्तरण और खरीददारों को स्वामित्व का हस्तान्तरण, आमतौर पर ग्राहकों को माल की आपूर्तिक के दौरान मेल खाता है।

f. अन्य आय:

जमाओं पर ब्याज की आय उपार्जित आधार पर चिन्हित किया गया है।

g. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में से संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने हैं), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्ति उनके अधिग्रहण की लागत, कम संचित परिशोधन और हानियों पर बताई गई है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यह्रास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर एक सीधी रेखा के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागतों का पूंजीकरण करती है जहां यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। तीन साल के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान पर सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास किया गया है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य:

ऐसी संपत्तियों जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें प्रत्यक्ष लागत और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय और लागू होने वाला ब्याज शामिल है।

i. मूल्य ह्रास एवं परिशोधन:

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार संपत्ति की प्रकृति, प्रबन्धकों द्वारा अनुमानित सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल, सम्पत्ति की चालू स्थिति, प्रतिस्थापन का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी आश्वासन एवं रखरखाव सहयोग आदि के आधार पर किया जाता है।

मूल्य-ह्रास लगाने के लिए उपयोगी जीवन निम्न प्रकार है:-

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
प्लांट एवं उपकरण	4 – 10
कम्प्यूटर्स (सॉफ्टवेयर सहित)	3
ऑफिस उपकरण	5
अमूर्त संपत्तियां	3
लिज व्यवस्था	10

मूल्य ह्रास का आंकलन खरीद की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

j. स्टॉक

सूची में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, तैयार माल और स्टोर और स्पेयर शामिल हैं। अप्रचलन और अन्य नुकसान, जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रदान करने के बाद इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। तैयार माल में उपरिव्यय का उचित अनुपात शामिल होता है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त की जाएगी। मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यह्रास शुल्क है आस्थगित अनुदान से विनियोजित और कम मूल्यह्रास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति शामिल है।

a. परिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में किए जाने वाले योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

b. परिभाषित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। बैलेंस शीट की तारीख में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट' पद्धति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर

वृद्धिशील देयता, लाभ और हानि खाते के विवरण के लिए प्रभारित की जाती है। बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

c. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और मुआवजे की अनुपस्थिति शामिल है जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

d. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, उसकी समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने वाली क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति को बीमाकिक के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों को समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर-शोषित-मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुए भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण लागत:

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल हैं। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, जो कि ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक अर्हक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से संबंधित अवधि से संबंधित होती हैं, उन्हें उस की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। संपत्ति। अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

p. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

q. अनुभाग की जानकारी

व्यवसाय अनुभाग (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक अनुभागों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय अनुभाग के रूप में माना गया है।

r. प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

s. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ-हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 3: अंश पूंजी

	31 मार्च 2025 को स्थिति		31 मार्च 2024 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि लाखों रुपये में	शेयरों की संख्या	राशि लाखों रुपये में
(a) अधिकृत अंश पूंजी (प्रति अंश 100 रुपये समता अंश)	8,00,000	800.00	8,00,000	800.00
(b) जारी की गई सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी (प्रति अंश 100 रुपये समता अंश)	6,80,119	680.12	5,93,843	593.84

नीचे नोट (i) से (iv) देखें

नोट्स:

(i) अंश से सम्बंधित अधिकार, प्राथमिकताएँ और प्रतिबंध

कम्पनी के पास 100 रुपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट देने का अधिकार है। सदस्य कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार समित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कम्पनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे सम्पूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष सम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे

(ii) वर्ष के आरंभ और अंत में इकिटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष लिए		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष लिए	
	अंशों की सं.	(राशि लाख रु में)	अंशों की सं.	(राशि लाख रु में)
वर्ष की प्रारम्भ में बकाया अंश	5,93,843	593.84	5,47,453	547.45
वर्ष के दौरान जारी किए गए अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गए अंशों के समायोजन के बाद)	86,276	86.28	46,390	46.39
वर्ष के अंत में बकाया अंश	6,80,119	680.12	5,93,843	593.84

(iii) कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXIA) के भाग IXA के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की 5% या अधिक अंश पूंजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये हैं।

(vii) प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण

क्रम संख्या	प्रमोटर्स का नाम	1 अप्रैल, 2024 को अंशों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च, 2025 को अंशों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
1	भाग्यश्री	12	-	12	0.00	-
2	रेखा	30	-	30	0.00	-
3	कृष्णा कुंवर	10	-	10	0.00	-
4	कृष्णा कुंवर	12	1	13	0.00	8.33
5	पुष्पा कुंवर	29	-	29	0.00	-

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 को स्थिति राशि लाखों रुपये में	31 मार्च 2024 को स्थिति राशि लाखों रुपये में
Note 4: संचित एवं अधिशेष		
(a) सामान्य संचय		
प्रारंभिक शेष	700.57	661.36
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ-हानि से अधिशेष हस्तांतरण	4.23	39.21
अंतिम शेष	<u>704.80</u>	<u>700.57</u>
(b) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	47.51	43.80
जोड़े: वर्ष में अर्जित लाभ	45.05	86.71
घटायें:		
(-) 31 मार्च 2025 को सदस्यों को अंतिम समितित लाभ (लाभांश) (6 रूपये प्रति अंश)		43.80
(-) 31 मार्च 2024 को सदस्यों को अंतिम समितित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	47.51	-
सामान्य संचय में हस्तांतरित	4.23	39.21
अंतिम शेष	<u>40.81</u>	<u>47.51</u>
	<u>745.62</u>	<u>748.08</u>

Note 5: स्थगित अनुदान (Deferred Grant)

प्रारंभिक शेष	444.54	403.34
जोड़े: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 36 देखें)	300.96	135.33
घटायें: पूंजीगत अनुदान से प्राप्त खरीदी गई संपत्तियों से संबंधित मूल्यहास (नोट 13 देखें)	105.68	83.03
घटायें: परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर प्रभाव	-	11.10
अंतिम शेष	<u>639.82</u>	<u>444.54</u>

Note 6: दीर्घकालिन दायित्व

(a) एनडीडीबी से सुरक्षित सावधि ऋण	320.75	279.00
	<u>320.75</u>	<u>279.00</u>

Note:

i) एनडीडीबी से 420.49 लाख रुपये का ऋण 11.07.2023 को स्वीकृत किया गया। 138 लाख रुपये की पहली किस्त 11.01.2024 को और 141 लाख रुपये की दूसरी किस्त 11.03.2024 को प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान, ऋण की तीसरी किस्त 41.75 लाख रुपये 22.07.2024 को प्राप्त हुई। ऋण चल संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) के बंधक के माध्यम से सुरक्षित किया गया है और इस पर 1.5% प्रति वर्ष या एनडीडीबी द्वारा सूचित की गई दर से ब्याज देय है। ऋण की चुकोती 10 वर्षों में की जानी है, जिसमें पहली रिलीज की तारीख से मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है। पुनर्भुगतान मासिक आधार पर होगा।

Note 7: अन्य दीर्घकालिन दायित्व

(a) सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	357.95	196.90
	<u>357.95</u>	<u>196.90</u>

Note 8: दीर्घकालिन प्रावधान

(a) कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (फंड का शुद्ध रु. शून्य; पिछले वर्ष रु. 18.09 लाख)	-	0.76
(ii) अनुपस्थिति के मुआवजे के लिए प्रावधान (फंड का शुद्ध रु. 18.82 लाख; पिछले वर्ष रु. 10.54 लाख)	12.41	9.29
	<u>12.41</u>	<u>10.05</u>

आशा महिला मिल्क प्रोजेक्टर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 को स्थिति राशि लाखों रुपये में	31 मार्च 2024 को स्थिति राशि लाखों रुपये में
Note 9: अल्पकालीन ऋण		
बैंक से:		
(a) असुरक्षित ऋण		
(i) बिक्री बिल बटाकरण सुविधा (Bill discounting facility)	-	2,763.88
	-	2,763.88

	31 मार्च 2025 को स्थिति राशि लाखों रुपये में	31 मार्च 2024 को स्थिति राशि लाखों रुपये में
Note 10: व्यावसायिक देनदारियाँ		
(a) लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नोट 40 देखें)	135.82	70.42
(b) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	941.35	532.39
	1,077.17	602.81

Note:

(i) प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, ऊपर बताए गए आपूर्तिकर्ताओं को छोड़कर एमएसएमईडी अधिनियम के तहत कोई भी आपूर्तिकर्ता पंजीकृत नहीं है। लेखा प्रशिक्षकों ने इस पर विश्वास किया है।

(ii) व्यावसायिक देनदारियाँ समयानुसार अनुसूची:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
		विल न किये गए देय	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम						
	31 मार्च, 2025 तक	-	101.55	34.27	-	-	135.82
	31 मार्च, 2024 तक	-	70.42	-	-	-	70.42
(ii)	अन्य						
	31 मार्च, 2025 तक	-	941.10	0.25	-	-	941.35
	31 मार्च, 2024 तक	-	532.39	-	-	-	532.39
(iii)	विवादित बकाया - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम						
	31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य						
	31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-

Note 11: अन्य चालू दायित्व

(a) सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय*	3.18	4.17
(b) ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	-	23.82
(c) संवैधानिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, स्रोत पर कर कटौती, माल और सेवा कर आदि)	10.39	9.10
(d) ग्राहकों से अप्रिम	2.67	1.34
(e) कर्मचारियों को देय	49.38	22.15
(f) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर देय**	9.17	97.96
(g) दावा न किये गए/अवैतनिक लाभांश	1.05	0.49
(h) एनडीडीबी से प्राप्त अनुदान (उपयोगिता के बाद) (नोट 36 देखें)	68.43	355.07
(i) मॉबियस फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान	12.00	-
	156.28	514.09

Note:

* कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZD के अनुसार, कुछ विशेष अंशधारकों को निर्देश दिए हैं की वे अपने समता अंशों को समर्पित करें क्योंकि वे कम्पनी अंतर्नियमों में उल्लेखित कम्पनी के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 3178 अंश (गत वर्ष 4167 अंश) कम्पनी को इनके अंकित मूल्य रूपये 100 प्रति अंश पर समर्पित किये गए हैं और इन अंशों को दूसरे योग्य सदस्यों को उसी मूल्य पर पुनः जारी किया गया है।

** इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित शून्य रुपये (पिछले वर्ष 8.19 लाख रुपये) का शेष शामिल है।

Note 12: अल्पकालीन प्रावधान

(a) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i) अनुपस्थिति के मुआवजे के लिए प्रावधान	-	-
	-	-

आशा महिला मिल्क प्रोज़्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 13: सम्पत्ति, प्लांट तथा उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और बाति				राशि लाखों रुपये में	
	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वृद्धि	निष्कारण	31 मार्च 2025 को स्थिति	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के हिस्से	प्रतिवर्षीय के निष्कारण पर कटौत	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
(a) मूल सम्पत्तियाँ										
प्लांट एवं मशीनरी (फिछते वर्ष)	902.99 (834.02)	779.91 (101.34)	- (32.38)	1,682.90 (902.99)	402.68 (331.50)	146.17 (92.45)	- (21.28)	548.85 (402.68)	1,134.05 (500.31)	500.31
सीजहोल्ड इम्प्लेमेंट्स (फिछते वर्ष)	10.62 (10.62)	- (-)	- (-)	10.62 (10.62)	1.21 (0.15)	1.06 (1.06)	- (-)	2.27 (1.21)	8.35 (9.41)	9.41
कॉर्पोरेट एवं फिटिंग (फिछते वर्ष)	39.40 (37.80)	1.35 (1.60)	- (-)	40.75 (39.40)	15.07 (10.92)	4.31 (4.16)	- (-)	19.38 (15.07)	21.36 (24.33)	24.33
कार्यालय उपकरण (फिछते वर्ष)	19.20 (13.45)	4.40 (5.76)	- (-)	23.60 (19.20)	9.86 (7.09)	3.30 (2.77)	- (-)	13.16 (9.86)	10.44 (9.34)	9.34
कम्प्यूटर्स (फिछते वर्ष)	50.52 (28.72)	2.46 (21.80)	- (-)	52.99 (50.52)	31.07 (25.99)	8.15 (5.09)	- (-)	39.23 (31.07)	13.76 (19.45)	19.45
कुल (A)	1,022.73	788.12	-	1,810.85	459.89	163.00	-	622.90	1,187.96	562.84
फिछते वर्ष	(924.61)	(130.50)	(32.38)	(1,022.73)	(375.64)	(105.53)	(21.28)	(459.89)	(562.84)	
(b) अमूर्त सम्पत्तियाँ (स्वयं उपकरण के अलावा)										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (फिछते वर्ष)	34.80 (21.94)	1.42 (12.86)	- (-)	36.22 (34.80)	20.62 (13.84)	6.46 (6.79)	- (-)	27.08 (20.62)	9.13 (14.18)	14.18
ट्रेडमार्क (फिछते वर्ष)	1.31 (1.31)	- (-)	- (-)	1.31 (1.31)	0.72 (0.46)	0.26 (0.26)	- (-)	0.98 (0.72)	0.59 (0.59)	0.59
कुल (B)	36.11	1.42	-	37.53	21.35	6.72	-	28.07	9.46	14.77
फिछते वर्ष	(23.25)	(12.86)	(-)	(36.11)	(14.30)	(7.05)	(-)	(21.35)	(14.77)	

Notes:

(i) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष लिए 31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)

मूल सम्पत्तियाँ	163.00	105.53
अमूर्त सम्पत्तियाँ	6.72	7.05
घट्टाए:	105.68	83.02
	64.04	29.55

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपरोक्त अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (नोट 36 देखें):

(राशि लाख रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास और बाति				पूरा ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वृद्धि	निष्कारण	31 मार्च 2025 को स्थिति	01 अप्रैल, 2024 को स्थिति	वर्ष के हिस्से	प्रतिवर्षीय के निष्कारण पर कटौत	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2025 को स्थिति	31 मार्च 2024 को स्थिति
(a) मूल सम्पत्तियाँ										
प्लांट एवं मशीनरी (फिछते वर्ष)	675.37 (685.78)	405.99 (21.97)	- (32.38)	1,081.36 (675.37)	364.67 (312.16)	100.78 (73.79)	- (21.28)	465.45 (364.67)	615.91 (310.70)	310.70
कॉर्पोरेट एवं फिटिंग (फिछते वर्ष)	33.47 (33.47)	- (-)	- (-)	33.47 (33.47)	14.22 (10.57)	3.65 (3.66)	- (-)	17.87 (14.22)	15.60 (19.25)	19.25
कार्यालय उपकरण (फिछते वर्ष)	7.80 (7.53)	- (0.27)	- (-)	7.80 (7.80)	6.60 (5.53)	0.59 (1.07)	- (-)	7.19 (6.60)	0.61 (1.20)	1.20
कम्प्यूटर्स (फिछते वर्ष)	27.83 (26.95)	- (0.88)	- (-)	27.83 (27.83)	27.03 (25.53)	0.29 (1.50)	- (-)	27.32 (27.03)	0.51 (0.80)	0.80
अमूर्त सम्पत्तियाँ										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (फिछते वर्ष)	12.59 (12.59)	- (-)	- (-)	12.59 (12.59)	12.22 (9.20)	0.38 (3.01)	- (-)	12.59 (12.22)	0.00 (0.38)	0.38
कुल	757.07	405.99	-	1,163.06	424.74	105.68	-	530.42	632.64	332.34
फिछते वर्ष	(766.33)	(23.12)	(32.38)	(757.07)	(362.99)	(83.03)	(21.28)	(424.74)	(332.34)	

(iii) पूंजीगत कार्य प्रति पर

(Rupees in lakhs)

विवरण	अवधि के लिए प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
सीडब्ल्यूआईपी-डीपीएमसीयू - अनुदान (फिछते वर्ष)	7.18 (112.21)	- (-)	- (-)	- (-)	7.18 (112.21)
सीडब्ल्यूआईपी-डीपीएमसीयू - स्वामित्व (फिछते वर्ष)	7.18 (112.21)	- (-)	- (-)	- (-)	7.18 (112.21)
परिपोषण/अस्थायी रूप से मिलित (फिछते वर्ष)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
कुल सीडब्ल्यूआईपी (फिछते वर्ष)	14.36 (224.41)	-	-	-	14.36 (224.41)

आशा महिला मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 को स्थिति राशि लाखों रुपये में	31 मार्च 2024 को स्थिति राशि लाखों रुपये में
Note 14: स्थगित कर संपत्तियां/ (देयताएं) (शुद्ध)		
(i) स्थगित कर देनदारियाँ बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	10.88	(4.59)
(ii) स्थगित कर संपत्तियों का निर्माण करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) अनुपस्थिति का मुआवजा और ग्रेच्युटी का प्रावधान	3.12	2.53
(b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत अस्वीकृति	2.90	4.25
शुद्ध स्थगित कर संपत्ति/ (देयताएं)	(4.86)	11.37
Note 15: दीर्घकालिन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित एवं उचित मने गए)		
(a) आयकर भुगतान (प्रावधानों का शुद्ध)	63.87	59.35
	63.87	59.35
Note 16: अन्य दीर्घकालिक सम्पत्तियाँ		
(a) प्रतिभूति जमाये	5.20	5.20
	5.20	5.20
Note 17: स्टॉक (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हों पर)		
(a) तैयार माल	21.43	29.77
(b) स्टॉक-इन-ट्रेड	132.65	68.28
(c) स्टॉक-इन-ट्रेड (ट्रांजिट में)	91.19	62.53
(d) उपभोग्य	2.94	2.48
	248.21	163.06
Note 18: व्यावसायिक लेनदारियाँ (असुरक्षित एवं उचित मने गए)		
(a) बिल का भुगतान देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण -सुरक्षित एवं उचित मने गए	26.53	-
(b) अन्य	812.17	3,233.93
	838.71	3,233.93

(ii) व्यावसायिक लेनदारियाँ समयानुसार अनुसूची:

क्रम सं	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					योग
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - उचित मने गए						
	31 मार्च, 2025 तक	812.17	26.53	-	-	-	838.71
	31 मार्च, 2024 तक	3,233.93	-	-	-	-	3,233.93
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध						
	31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध उचित मने गए						
	31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध						
	31 मार्च, 2025 तक	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-

(राशि लाख रु. में)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोदस जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	<u>31 मार्च 2025 को स्थिति</u> <u>राशि लाखों रुपये में</u>	<u>31 मार्च 2024 को स्थिति</u> <u>राशि लाखों रुपये में</u>
Note 19: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		
(a) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		
(i) बैंक में जमा:		
a. चालू खातों में	69.31	132.97
b. बचत खातों में	113.53	36.98
c. जमा खातों में	-	0.86
-मूल परिपक्वता 3 महीने या उससे कम		
AS-3 के अनुसार रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य -रोकड़ प्रवाह विवरण	<u>182.84</u>	<u>170.81</u>
(b) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	1,288.25	1,029.83
(ii) निर्धारित खतों में -		
- अदत्त लाभांश खाता	1.05	0.85
- JICA अनुदान खाता	87.08	425.02
- JICA लोन खाता	8.11	211.75
	<u>1,567.35</u>	<u>1,838.25</u>
Note:		
(i) बैंकों के पास शेष राशि में रु. 497.33 लाख (पिछले वर्ष 1030 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी परिपक्वता बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।		
Note 20: अल्पावधि ऋण और अग्रिम		
(असुरक्षित एवं उचित मने गए)		
(a) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	6.91	0.08
(b) ग्रेज्युटी फंड (देनदारी का शुद्ध रु. 21.48 लाख; पिछले वर्ष रु. शून्य)	1.78	-
(c) विक्रेताओं को अग्रिम	9.53	19.99
(d) प्रीपेड खर्च	0.94	1.54
	-	-
	<u>19.16</u>	<u>21.61</u>
Note 21: अन्य चालू संपत्तियां		
(असुरक्षित एवं उचित मने गए)		
(a) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	49.53	22.71
(b) अन्य प्राप्तिया	0.16	0.19
	<u>49.69</u>	<u>22.91</u>

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोड्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
Note 22: व्यवसाय से आय		
(a) उत्पादों की बिक्री	22,893.75	22,905.46
	22,893.75	22,905.46
विक्रय का विवरण		
(i) विनिर्मित के माल		
a. घी की बिक्री	35.22	-
	35.22	-
(ii) व्यापारिक माल		
a. कच्चा दूध की बिक्री	21,892.22	22,034.25
b. घी की बिक्री	122.51	252.92
c. पशु-आहार एवं अन्य सामग्री की बिक्री	836.39	609.64
d. अन्य बिक्री	7.41	8.65
	22,858.53	22,905.46
कुल	22,893.75	22,905.46

Note 23: अन्य आय

(a) ब्याज से आय		
(i) बैंक जमाओं पर	77.53	59.04
(b) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
(i) सदस्यता शुल्क	7.81	2.26
(ii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	11.10
(iii) दायित्व जिन्हें अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	23.96	0.36
(iv) विविध आय	3.75	4.18
	113.04	76.93

आशा महिला मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
Note 24: उपभोग की गई सामग्री की लागत		
कच्चा दूध		
(a) आरंभिक स्टॉक	-	-
(b) जोड़े: खरीद	43.43	-
(c) जोड़े: घी रूपान्तरण लागत	6.72	-
	50.15	-
(c) घटाए: अंतिम स्टॉक	-	-
	50.15	-
Note 25: व्यापारिक माल की खरीद		
(a) कच्चा दूध	19,240.19	19,415.75
(b) घी	75.93	201.63
(c) पशु-आहार एवं अन्य सामग्री	706.39	511.67
(d) परिचालन व्यय	1,143.88	1,051.72
(e) अन्य	2.33	11.90
	21,168.73	21,192.67
Note 26: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तन		
तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड में कमी/(वृद्धि)		
(a) वर्ष के आरम्भ में स्टॉक		
स्टॉक इन ट्रेड	68.28	71.66
तैयार माल	29.77	54.54
स्टॉक-इन-ट्रेड	62.53	144.41
	160.58	270.61
(b) वर्ष के अन्त में स्टॉक		
बिक्री के लिए माल		
स्टॉक इन ट्रेड	132.65	68.28
तैयार माल	21.43	29.77
स्टॉक-इन-ट्रेड	91.19	62.53
	245.27	160.58
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(84.68)	110.03
Note 27: कर्मचारी लाभ व्यय		
(a) वेतन और मजदूरी	360.87	301.58
(b) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	25.05	21.29
(c) कर्मचारी कल्याण खर्च	43.49	28.70
	429.41	351.57

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
Note 28: वित्त लागत		
(a) उधार पर ब्याज व्यय	25.95	195.91
(b) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.10	0.12
	26.05	196.03

Note 29: अन्य व्यय

(a) स्टॉक एवं पुर्जों की खपत	68.38	20.85
(b) शक्ति और ईंधन	2.60	1.89
(c) किराया	13.43	11.80
(d) छपाई और लेखन सामग्री	13.39	12.92
(e) मरम्मत और रख-रखाव – मशीनरी	2.03	3.31
(f) मरम्मत और रख-रखाव – अन्य	17.03	11.82
(g) माल ढुलाई, अग्रषण और वितरण खर्च	971.90	808.10
(h) बीमा शुल्क	1.45	0.95
(i) कानूरी एवं पेशेवर शुल्क	44.94	3.67
(j) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	2.76	2.51
(k) यात्रा एवं परिवहन	72.79	69.44
(l) प्रशिक्षण खर्च	10.63	11.29
(m) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं से संबंधित व्यय	9.41	10.68
(n) संचार खर्च	19.16	14.28
(o) बैठक और अभिविन्यास खर्च	7.39	8.44
(p) विविध व्यय	18.93	12.46
	1,276.22	1,004.41

Note:

(i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है

a. सांविधिक लेखा परिक्षा शुल्क	1.96	1.78
b. टैक्स ऑडिट शुल्क	0.38	0.35
c. उपरोक्त पर टैक्स	0.42	0.38
	2.76	2.51

आशा महिला मिल्क प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए
(राशि लाख रुपयों में)31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए
(राशि लाख रुपयों में)

Note 30: अकस्मिक देनदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ

A. अकस्मिक देनदारियाँ-

(a) कम्पनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

31 मार्च 2025 तक कोई बकाया आकस्मिक देनदारियाँ नहीं है

(b) प्रतिबद्धताएँ -

पूजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का शुद्ध शुल्क)

Note 31

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक 22.08.2025 को अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। पूरी तरह से भुगतान किए गए इकिटी शेयरों पर 40.81 लाख (6 रुपये प्रति शेयर) का भुगतान किया जाना है। इकिटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इकिटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इकिटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

Note 32

कंपनी को इकिटी शेयरों के लिए रुपये 8.97 लाख, की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है। जिसके विरुद्ध 17 मई, 2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में आवंटन किया गया है।

Note 33: कर्मचारी लाभ योजनाएँ:

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने लाभ और हानि खाते के विवरण में भविष्य निधि और पेंशन निधि योगदान के लिए 20.93 लाख (छिछले वर्ष 17.87 लाख रुपये)।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रैच्युटी योजना (एकमुस्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रैच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रैच्युटी योजना के मामले में, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित धनराशि में योगदान करती है। प्रतिबद्धताएँ वास्तविक रूप से वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती हैं। बीमाकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्ट ड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमाकिक धारणाओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएँ ग्रैच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति निर्धारित करती हैं।

(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	18.85	12.17
ब्याज लागत	1.27	5.39
वर्तमान सेवा लागत	6.15	0.86
भुगतान किया गया लाभ	(6.54)	(1.12)
बीमाकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	1.75	1.55
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	21.48	18.85

(ii) योजना संपत्तियों का उचित मूल्य

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	18.09	12.30
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1.34	1.03
योगदान	6.83	4.53
भुगतान किया गया लाभ	(3.40)	-
योजना संपत्तियों पर बीमाकिक लाभ/(हानि)	0.41	0.22
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	23.27	18.09

(iii) योजना परिसंपत्तियों पर वापसी

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1.34	1.03
बीमाकिक लाभ/(हानि)	0.41	0.22
योजना संपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	1.74	1.26

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	21.48	18.85
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	23.27	18.09
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(सम्पत्ति)	(1.78)	0.76

(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
वर्तमान सेवा लागत	6.15	0.86
ब्याज लागत	1.27	5.39
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1.34)	(1.03)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमाकिक (लाभ)/हानि	1.34	1.33
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	7.43	6.54

(vi) बैलेंस शीट समाधान

	31 मार्च 2025 को (राशि लाख रु. में)	31 मार्च 2024 को (राशि लाख रु. में)
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	0.76	(0.13)
व्यय उपरोक्तानुसार	7.43	6.54
योगदान /लाभ का भुगतान	(9.97)	(5.65)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(1.78)	0.76

कंपनी की योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा कंपनी की ग्रेयुटी योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेयुटी फंड के लिए निवेश पेटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमाकिक गणना निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित होती है, जो यदि बदली जाती है, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, फंडिंग आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

(vii) प्रमुख बीमाकिक धारणाएँ

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
छूट की दर	6.75% p.a.	7.10% p.a.
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	7.00% p.a.
आकर्षक मूल्य:		
30 वर्ष से कम	5%	5%
उम्र 31-44 साल	3%	3%
उम्र 44 और उससे अधिक	1%	1%
मृत्यु तालिका का उपयोग किया	IAL (2012-14)	IAL (2012-14)

योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर कई लागू कारकों जैसे योजना परिसंपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

छूट की दर दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार पैदावार पर आधारित है।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(viii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमाकिक धारणाएँ

मुआवजे की अनुपस्थिति के लिए दायित्व के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमाकिक धारणाएँ ऊपर **(vii)** के समान हैं।

(ix) अनुभव समायोजन

	31.03.2025 (राशि लाख रु. में)	31.03.2024 (राशि लाख रु. में)	31.03.2023 (राशि लाख रु. में)	31.03.2022 (राशि लाख रु. में)	31.03.2021 (राशि लाख रु. में)
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	21.48	18.85	12.17	7.55	6.55
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	23.27	18.09	12.30	0.86	-
वित्तपोषित स्थिति	(1.79)	0.76	(0.13)	6.69	6.55
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(1.75)	(1.55)	(0.78)	(0.86)	(0.09)
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	0.41	0.22	-	-	-

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

नोट्स जोकि वित्तीय विवरणों के भाग है

Note 34: लीज व्यवस्था

कंपनी ने कार्यालय परिसर और थोक दुग्ध शीतलन केंद्रों के लिए लीज व्यवस्था की है। कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में 13.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 11.80 लाख रुपये) का लीज किराया व्यय दर्ज किया है। कंपनी द्वारा लिए गए लीज निरस्तीकरण योग्य प्रकृति के हैं।

Note 35: प्रति समता अंश आय

विवरण	इकाई	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए
कर के बाद शुद्ध लाभ	(राशि लाख रु. में)	45.05	86.71
बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या			
साल के दौरान	(संख्या लाख में)	6.08	5.57
प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य	रूपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रूपये	7.41	15.58
प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना करने के लिए उपयोग जाने वाले इक्विटी शेयरों	(संख्या लाख में)	6.08	5.57
डाइल्यूटिड आय प्रति शेयर	रूपये	7.40	15.58

Note 36: भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" - "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" के घटक बी के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान का विवरण और उसका उपयोग निम्नानुसार है - लेखा नीति संख्या 2(k) देखें:

विवरण	31 मार्च 2025 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)	31 मार्च 2024 समाप्त वर्ष लिए (राशि लाख रुपयों में)
(a) प्रारंभिक शेष	355.07	-
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त/भुगतान	198.09	499.99
	553.16	499.99
(c) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए (CWIP सम्मिलित)	300.96	135.33
(ii) राजस्व व्यय के लिए	183.77	9.59
कुल उपयोग (i) + (ii)	484.73	144.92
(d) अग्रेषित शेष राशि (ए+बी-सी) - नोट 11 देखें	68.43	355.07

आशा महिला मिल्क प्रोज़्यूसर कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 37: वृद्धीकर

क्र. सं.	वृद्धीकर	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	% परिवर्तन	25% से अधिक वित्तन के लिए स्पष्टीकरण
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	2.21	1.36	62.27	यह अंतर विक्री सालानों की वित्त भुनाई बंद करने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक देनदारियों में कमी आई है और साथ ही प्राम्य राशि में भी कमी आई है।
2	ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण (निर-वर्तमान और वास्तु)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.22	2.27	(90.08)	यह अंतर मुख्य रूप से विक्री सालानों के वित्त भुनाई को प्रक्रिया बंद होने के कारण है, जो अव्यक्तिक उधार का हिस्सा है।
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + ब्याज + गैर-नकद परिचालन व्यय + अन्य गैर-नकद समाधोजन	ऋण सेवा = ब्याज + मूलधन वृद्धी	0.05	0.07	(27.45)	आवश्यक नहीं
4	इक्विटी पर रिटर्न अनुपात (% में)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	3.26	6.68	(51.30)	आवश्यक नहीं
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय में)	उपभोग की गई सामग्री की लागत + स्टॉक-इन-ट्रेंड की खरीद + इन्वेंट्री में परिवर्तन	औसत इन्वेंट्री	102.77	97.90	4.98	आवश्यक नहीं
6	व्यापार प्राम्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण विक्री	औसत व्यापार प्राम्य	11.24	5.30	111.95	यह अंतर व्यापार प्राम्यो में 3233,03 घात रुपये से घटकर 838,21 लाख रुपये हो जाने के कारण है, जबकि परिचालन से प्राप्त राजस्व लगभग समान ही रहा।
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट खरीदारी	औसत व्यापार देयताएं	27.23	29.45	(7.53)	आवश्यक नहीं
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	परिचालन से राजस्व	कार्यावील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां - वर्तमान देनदारियां	15.37	16.37	(6.14)	आवश्यक नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	करों के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	0.20	0.38	(48.11)	आवश्यक नहीं
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूल निवल मूल्य + कुल ऋण + आव्यक्तिक कर देयता	7.22	7.16	0.76	आवश्यक नहीं
11	निवेश पर प्रतिफल (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय भावित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आवश्यक नहीं

नोट 38: अन्य वैधानिक जानकारी

- 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- कंपनी ने प्रमोटेड, निदेशकों, के एमपी और संबंधित लक्ष्य (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि, या अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, प्रदान नहीं किया है, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि बिना भुगतान योग्य हो।
- कंपनी के पास कोई अनामी संपत्ति नहीं थी और उसके अधीन कोई अनामी संपत्ति नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत डिफॉल्टर्स एंजोसिएट्स एंजोसिएट्स के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) या उसके संघ विस्तृत डिफॉल्टर्स द्वारा घोषित नहीं किया गया है।
- कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के साथ कोई साझेदारी नहीं थी।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी मुद्दाएं या वर्युअल मुद्दाएं में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने किसी भी अन्य व्यक्ति या शेयर को शामिल किया है या उसे कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) परिसंपत्ति या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (जो ऋण ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, कंपनी द्वारा या उसके और से किसी भी तरह से अन्य किसी भी तरह से बनाई गई अन्य संस्था या शेयर पूंजी से। या निवेश निवेश या अग्रिम धार्मिक संस्था की ओर से कोई दान, सुरक्षा या इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं।
- कंपनी के पास कोई भी शुल्क या संग्रहीत अर्ध नहीं थी जिसे वैधानिक के बाद आर्यो के साथ पंजीकृत किया गया था।
- कंपनी ने किसी भी व्यक्तिगत या अधिक रूप से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई भी निजीकरण (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) समझ के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अग्रिम ग्राहक") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से अन्य संस्थाएं या अग्रिम धर्मों की ओर से बनाई गई कोई संस्था, इस या उस तरह की कोई कंपनी नहीं है।

नोट 39: लेखा मानक (एएस) 18 - "संबंधित पक्ष समर्पण" के अनुसार आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:

ए. संबंधित वैधानिक का नाम और संबंध की प्रकृति

संबंध की प्रकृति	नाम
प्रमुख प्रबंधन कर्मिक:	धर्मद कुमार - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

बी. वास्तविक संबंधित आकृतियों के साथ वच के दौरान सिलेक्शन की प्रकृति और मात्रा का विवरण है:

विवरण	(लाख रुपये में)	
	केय	कुल
प्रबंधकीय पारिश्रमिक:		
धर्मद कुमार - निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी	9.28 (25.33)	9.28 (25.33)

काष्ठक में दिए गए आंकड़ों में छल्लत सात के आंकड़ें हैं

ASHA MAHILA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
Notes forming part of the financial statements

Note 40:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण:

विवरण	31 मार्च, 2025 समाप्त	31 मार्च, 2024 समाप्त
	वर्ष लिए	वर्ष लिए
	(राशि लाख रुपयों में)	(राशि लाख रुपयों में)
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	135.82	78.61
(ii) उस पर देय ब्याज लेखांकन वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को का भुगतान नहीं किया गया है	-	-
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज राशि	-	-
(vi) आगे के वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय	-	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया उस सीमा तक निर्धारित किया गया है, जहां तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है। ऑडिटर ने इस पर भरोसा किया है।

Note 41:

कंपनी दूध और पशु आहार (मवेशियों के चारे) के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित खुलासे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक सेगमेंट में काम करती है।

Note 42:

कंपनी के अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र का पता लगाया है। 12 महीने से कम का। तदनुसार, परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

Note 43:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

नरसा कुंवर
अध्यक्ष
DIN: 09691291

कन्या
निदेशक
DIN: 08480274

धर्मेन्द्र कुमार
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 08122632

सीएस जैसराज
कंपनी सचिव
एम.नं. A42206

हर्षित जैन
प्रबंधक
वित्त एवं लेखा

स्थान: उदयपुर
दिनांक: 22.08.2025





Asha

मेरी पहचान मेरी आशा



ASHA MAHILA MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

Plot No-03, Paneriyo Ki Madri, Sector -9, C-Block, Hiran Magri, Savina, Udaipur, Rajasthan – 313002
 Mobile +91 95872 21133 | Email : info@ashamilk.com | www.ashamilk.com

ASHAMMP2K16 ashadairy_2016 @ASHA_MMPC